

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 6880


दिनांक - 20.08.25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मोहनसिंह पुत्र सुखसिंह जाति राजपुत निवासी आटी तहसील व जिला बाड़मेर।		1 रागलाल पुत्र माणकमल 2 जालमसिंह 3 हेमेशसिंह पिसरान खुमाणसिंह 4 गजी पत्नि माणकमल 5 नैनमल 6 ओमप्रकाश 7 विपिन कुमार पिसरान माणकमल 8 कपिल पुत्र रतनलाल 9 सुशीला पत्नि रतनलाल 10 छगनकंवर पत्नि राणसिंह 11 उदयसिंह 12 उगमसिंह 13 पृथ्वीसिंह 14 छैलसिंह पिसरान पदमसिंह 15 झूझारसिंह 16 जोगराजसिंह 17 जैतमालसिंह 18 विक्रमसिंह पिसरान दुर्गसिंह 19 अलसिंह 20 रतनसिंह पिसरान सबलसिंह 21 बलवन्तसिंह पुत्र हुकमसिंह 22 पवनकंवर पत्नि दुर्गसिंह 23 भीखकंवर पत्नि भाखरसिंह 24 सवाईसिंह पुत्र भाखरसिंह 25 दरियाकंवर पत्नि हिन्दूसिंह 26 चन्द्रकंवर पत्नि सबलसिंह 27 खुमाणसिंह पुत्र भूरसिंह 28 छगनकंवर पत्नि राणसिंह समस्त निवासी आटी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 352/2025 दिनांक- 05/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आटी पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 79 रकबा 8.6764 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।




(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी

क्रमांक :- रीडर/2025/ 6881-84
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 20.08.25

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मोहनसिंह पुत्र सुखसिंह जाति राजपुत निवासी आटी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण रामलाल पुत्र माणकमल निवासी आटी तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर